

2021/566

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र

(भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

सांगोद

विषय- राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती के सम्बन्ध में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम की वर्तमान
जमाबंदी संवत् की खाता संख्या में
मेरा अशुद्ध नाम/जाति दर्ज है।
जबकि मेरा शुद्ध नाम/जाति हैं।
अतः उक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक :

प्रार्थी

रिपोर्ट पटवारी एवं जाँच भू. अभि. निरीक्षक

मुताबिक आवेदन पत्र प्रार्थी के अशुद्ध नाम/जाति के
स्थान पर शुद्ध नाम/जाति दर्ज किया जाना उचित है

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।


भू. अभि. निरीक्षक वृत्त

पटवारी हल्का

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का तथा जाँच भू. अभि. निरीक्षक
के अनुसार प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति
रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंभा की जाती है।


तहसीलदार साँगोद

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी तथा जाँच भू. अभि. निरीक्षक
तहसीलदार साँगोद की अभिशंभा के आधार पर प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति
दर्ज रिकार्ड की जाए।

उपखण्ड अधिकारी साँगोद
उपखण्ड प्रशासक साँगोद
साँगोद जिला कोटा

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

(शिविर स्थान)

आदेश
३५१४८

दिनांक

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी
३५१४८

व. भू. अ. नि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार
३५१४८ लोडादे

नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील
हन्डम्पा लोडादे

जिला की जमाबन्दी सम्बत् में खाता संख्या
लोडा २००५-०७ २५

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|----------|-------------|---------------------------------------|---|
| | हन्डम्पा | २५ | समानाधी ५जी मेरिया | समानाधी समानाधी धार ५जी मेरिया |

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सौगाड जिला कोटा

क्रमांक :- २७१०

दिनांक :- १६/११/२१

प्रतिलिपि :-

१. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

२. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ ।

३. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सौगाड जिला कोटा